ायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

10 56/18 तारीखरजू:–11.9.2018

उनवानः– शांति देवी पत्नि भगवान सहाय वगै0

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

क्र	फर्द अहकाम
18	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री मदनमोहन शर्मा एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य की असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि मे सायलान को प्रार्थी के पक्ष मे अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि आगामी पेशी दिनांक 24.10.2018 तक विवादग्रस्त आराजी ख0न0 543/0.12, 544/0.25, 542/0.18 ग्राम गोरडा तहसील टोडाभीम जिला करौली की भूमि मे प्रार्थी को उक्त आराजी मे सायल के हिस्से मे मौके की यथा यथास्थिति एवं काश्त मे दखलन्दाजी आगामी सुनवाई तिथि तक बनाए रखे। प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रकिया के साथ–साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नही होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियो के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अंतरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियो का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियो मे यह अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है, मे परिवर्तन की दशा मे संशोधित/वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 24.10.2018 को पेश हो। उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली
24-10-18	प्रार्थी वकील उप०। अप्रार्थी नं. 1 ता० 10 की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा Adv. ने उपस्थिति दर्ज कराकर आगामी सुनवाई तिथी पर वकालतनामा एवं जबाब पेश करने का कथन किया। अप्रार्थी नं. 11 बावजूद सूचना उपस्थित नही० है उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है वकालतनामा व जबाब पेश करने दिनांक 3-1-19 को पेश हो।

3529-39
11/9/18

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला

दिनांक	फर्द अहकाम
3-1-19	वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी अवकाश पर है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 24-1-19 को पेश हो।
24-1-19	वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी भ्रमण पर है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 26.2.19 को पेश हो।
26.2.19	वकुलाय उप०/प्रतिवादी नं. 1,2,3 की ओर से श्री सुरेश चंद शर्मा Adv. ने वकालतनामा पेश किया शेष प्रतिवादीगण 4 ता. 10 का ना तो वकालतनामा पेश हुआ है नाहि स्वयं उपस्थित है पीठासीन अधिकारी स्थानान्तरणाधीन है आइन्दा दिनांक 26.3.19 को पेश हो। रीडर
26.3.19	वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी चुनाव ट्रेनिंग में जयपुर पधारे है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 27-5-19 को पेश हो। रीडर
27.5.19	वकुलाय उप०/ प्रतिवादी नं. 4 ता. 10 के उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है अप्रार्थी नं. 1 ता. 3 का जवाब पेश करने दिनांक 28-6-19 को पेश हो।
28-6-19	वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी अवकाश पर पधारे है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 6-8-19 को पेश हो। रीडर
6-8-19	वकुलाय उप०/ अप्रार्थी नं. 1 से 3 का जवाब पेश करने दिनांक 6-9-19 को पेश हो।
6.9.19	वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी दौरे पर पधारे है। अतः पत्रावली गताणुसार दिनांक 10.10.19 को पेश हो। रीडर

Scanned by CamScanner

...यालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

10.10.19 वकुलाय उप0। अप्रार्थी वकील ने आगामी सुनवाई तिथी पर जबाव पेश करने का कथन कर समय चाहते हुए ओदेशिका पर हस्ताक्षर किये। एक मौका और दिया जाता है जबाब पेश करने दिनांक 13.11.19 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)

13.11.19
प्रार्थी वकील उप0। अप्रार्थी वकील उप0 नहीं कई बार आवाज दिलवाई गई फिर भी अप्रार्थी वकील व अप्रार्थीगण में से कोई भी उपस्थित नहीं है, इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है वास्ते बहस दिनांक 26.11.19 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)

26.11.19
प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी वकील ने प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए पूर्व में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को दावा के निस्तारण तक कन्फर्म किये जाने का कथन किया। प्रार्थी वकील की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थिया रिकॉर्ड हक खातेदार काश्तकार है दिनांक 11.9.18 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को दावा के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाना उचित पाता हूं। अतः दिनांक 11.9.18 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल दावा के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है। गैरसायलान को पाबन्द किया जाता है कि ग्राम गोरडा की भूमि ख.नं. 543/0.12, 544/0.25 542/0.18 में प्रार्थिया के हिस्से में मौके की यथास्थिति बनाये रखे तथा इनके कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दावा पत्रावली के साथ संलग्न रहे।

(हस्ताक्षर)
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

(27) (हस्ताक्षर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2019.12.04 11:12:12 IST
Reason: SelfAttested
Location: